न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 44/ 21 वर्ष 2021
जीसीएमएस संख्या:– (2021/185

बउनवानी:– 1. परन्तय नारायण पुत्र प्रहलाद नारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. श्योपाल पुत्र रामनारायण मीना निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
2. फूला पुत्री रामनारायण मीना निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
3. विक्रम पुत्र हरपाल मीना निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
4. कीमत पुत्री हरपाल मीना निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
5. दीपा पुत्र हरपाल मीना निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
6. धर्मता पुत्री हरपाल मीना निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
7. श्रीमति लाडदेवी बेवा हरपाल मीना निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
8. उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा
9. उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1973 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थित:– 1. श्री सी0एल0 लोदवाल — वकील प्रार्थी
2. श्री श्रीदास सिंह राजावत — वकील अप्रार्थी 1–3

–: निर्णय :–

दिनांक 28.6.2024

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 30.06.1973 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ग्राम भगवतगढ की तहसील चौथ का बरवाडा के ख0न0 481 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा गै0मु0 तलाई हाल ख0न0 852 रकबा 0.6700 है0 है जो राजस्व रिकार्ड मे गै0मु0 तलाई के रूप मे दर्ज है। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि के आवंटन करने से पहले हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसमे बरसात का पानी भरता है और बाद मे खाली हो जाता है वादग्रस्त भूमि कागजात में गै0मु0 तलाई है मौके पर पाल नही है किस्म परिवर्तन की जाने पर ही काबिल काश्त जमीन है। इसपर विपक्षी संख्या 9 के द्वारा वादग्रस्त भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु स्वीकृति दी जानें पर रामनारायण पुत्र छीतर मीना को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 30.6.1973 को वादग्रस्त भूमि का विधिविरूद्व आवंटन किया गया तत्पश्चात संबंधित हल्का पटवारी ने आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जाना बताया गया है किन्तु लगभग 11 वर्ष बाद दिनांक 25.10.1984 को आवंटी रामनारायण को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है. जो विधिविरूद्व है। यह है तर्क भी दिया कि उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की 16 के प्रावधानों [illegible] होने से आवंटी को गैर खातेदारी/ खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते है एवं राजस्थान [illegible] अधिनियम,1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले और तालाब आदि राज्य [illegible] होगी एवं राज्य सरकार ने इस प्रकार की भूमियों का आवंटन किये जाने से प्रतिबंधित [illegible] है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे भी डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. [illegible]1536/2003 अब्दुल [illegible] बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा ऐसी भूमियों के संबंध में राजस्व अभिलेख [illegible] परिवर्तन के संबंध मे दिनांक 15.8.1947 की स्थिति को राजस्व अभिलेख में बहाल करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:16:38 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के पिता/पति एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के दादा के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किया गया आवंटन आदेश दिनांक 30.6.1973 विधिवत है। क्योकि मुताबिक आवंटन मिसल अप्रार्थीगण के पूर्वज रामनरायण के पक्ष में आवंटित की गयी भूमि साबिक ख0न0 481 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज है किन्तु आवंटन के आवेदन पत्र में संलग्न पटवारी की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त नम्बर की भूमि पर बरसात मे पानी भरता है जो बाद मे खाली हो जाता है तथा मौके पर पाल नही है किस्म परिवर्तन की जाने पर काबिल काश्त जमीन है। इस प्रकार किस्म परिवर्तन करते हुए उक्त भूमि को हमारे पूर्वज रामनारायण को आवंटित की गयी है तथा आवंटित भूमि पर आवंटी को दिनांक 25.10.1984 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने एवं आवंटन के लगभग 51 वर्ष के बाद आवंटन रूल्स 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन खारिज किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदेन किया गया ।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को आवंटित गै0मु0 तलाई की भूमि के संबंध में प्रस्तुत तथ्य यथा " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की 16 के प्रवर्ग की होने से आवंटी को गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व मे ही होगी एवं राज्य सरकार ने ऐसी भूमियों का आवंटन किये जाने से प्रतिबंधित किया है। इसी संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे भी डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा ऐसी भूमियों के संबंध में राजस्व अभिलेख में हुए परिवर्तन के संबंध मे दिनांक 15.8.1947 की स्थिति को राजस्व अभिलेख में बहाल करने के निर्देश प्रदान किये गये है" से हम सहमत है। ऐसी स्थिति मे हम न्याय के परिप्रेक्ष्य आंवटी रामनारायण पुत्र छीतर मीना निवासी भगवतगढ के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 30.6.1973 को विवादित भूमि के किये गये विधिविरूद्व आवंटन को खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है। परिणाम स्वरूप निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी (आवंटन आदेश दिनांक 30.6.1973) खारिज किया जाता है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 मे पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के अनुसरण में विवादित भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख पर समय-समय पर हुए परिवर्तन को निरस्त कराये जाने हेतु विधि अनुरूप रैफरेन्स तैयार कर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2024 को लिखवाया और सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:16:38 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner